

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4623]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 28, 2018/अग्रहायण 7, 1940

No. 4623]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 28, 2018/AGRAHAYANA 7, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2018

का.आ. 5844(अ).— मंत्रालय की प्रारूप अधिसूचना का.आ. 2809(अ), दिनांक 13 अक्तूबर, 2015 के अधिक्रमण में, अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए, प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अविध की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को लिखित रूप में या ई-मेल esz-mef@nic.in पर भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान **28.73 वर्ग किलोमीटर** क्षेत्र में फैला हुआ है और यह राजस्थान, भरतपुर जिला में गंभीर और बानगंगा नदियों के संगम पर स्थित है ($27^{\circ}07'06''$ उ - $27^{\circ}12'02''$ उ और $77^{\circ}29'05''$ पू -

6874 GI/2018 (1)

77°33′ 09″ पू) । यह बानगंगा और गंभीर नदी के बाढ़ समतल क्षेत्र में निचला क्षेत्र है जो कि यमुना नदी की सहायक नदियां है। यह दिल्ली-जयपुर राजमार्ग के साथ, दिल्ली से 180 किलोमीटर, आगरा से 50 किलोमीटर और भरतपुर के दक्षिण पूर्व से 2 किलोमीटर में स्थित है।

और, यह उद्यान, स्थानीय रूप से घाना नाम से जाना जाता है, यह घासभूमि के मोज़ेक, वनस्थली, वनस्थली दलदल और आर्द्रभूमि है। यह राष्ट्रीय उद्यान अंतरराष्ट्रीय पारिस्थितिकी महत्वपूर्ण है और यह 1981 में रामसार स्थल और 1985 में विश्व धरोहर स्थल के लिए घोषित किया गया। राष्ट्रीय उद्यान पिक्षयों के लिए स्वर्ग के तौर जाना जाता है और मध्य एशिया से प्रवासी पिक्षयों के लिए मुख्य शीतकालीन क्षेत्र है जिसमें दुर्लभ और संकटापन्न साईबेरियाई सारस संख्या शामिल है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का महत्वपूर्ण संरक्षण मूल्य है यह वनस्पितयों और जीवजंतुयों के बृहत् समूह को आश्रय प्रदान करता है जो कि पारिस्थितिकी पैरामिड में उष्णकटिबंधी महत्वपूर्ण घटक है। आर्द्रभूमि क्षेत्र के चारों ओर की जलवायु नियमित करती है और क्षेत्र के भूमि जल को रिचार्ज करता है। आर्द्रभूमि पक्षी-विज्ञान विहार के लिए केन्द्र है यह कई प्रवासी और देशी पिक्षयों के लिए पर्यावास प्रदान करता है। यह आर्द्रभूमि अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय की है।

और, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में समृद्ध जैव विविधता है। इस विविधता में 375 पक्षी जीव प्रजातियों में शामिल हैं- जलकुक्कुट की 140 प्रजातियां, पौधों की 372 प्रजातियां, स्तनधारियों की 34 प्रजातियां, मछलियों की 57 प्रजातियां, सांपों की 14 प्रजातियां, छिपकलियों की 5 प्रजातियां, गेक्को की 3 प्रजातियां, कछुओं की 7 प्रजातियां, उभयचरों की 8 प्रजातियां, तितलियों की 71 प्रजातियां, डेगोनफ्लाई की 16 से अधिक प्रजातियां और मकड़ियों की 8 प्रजातियों का वास हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान अर्ध-शुष्क जैव-भौगोलिक जोन (रोज़र और पंवार 1988) के पंजाब समतल जैव प्रांत के अंतर्गत आता है, जो कि सिंधु-यमुना जल विभाजक का समतल शुष्क क्षेत्र है। उद्यान की वनस्पति में एक्सरोफाईटस और अर्ध-एक्सरोफाईटस का सम्मिश्रण है जिसके अंतर्गत प्रमुख देसीबबूल (अकाकिया नीलोटिका), कैपरिस डेसिड्आ, सी. सेपियारिया, कदम (मित्रागिनपार्विफ्लोरा), केजरी (प्रोसोपिस सिनेरारिया), पिलू (साल्वाडोरायोलोइड्स), जामुन (सिजीगियमकुमिनि) और ज़िज़िफस एसपी. हैं। उद्यान में पासपालुमडिसटिट्म, पासपालिडिमपुनटाटम, घासें साईनोडोनडाटाईलोन, डेसमोसटाटियाबिपिनाटा, डिकैनथिमानुलाटडम और वेटीनेरियाज़िज़ानिओडेस हैं। कदम (मित्राजिनापारविफ्लोरा) वृक्ष, प्रकीर्ण कोशिका में वितरित, प्रमुख बृहत् आकार के वृक्ष और वनस्थली है, जबकि कांटेदार अकाकिया एसपी. और प्रोसोपिसजूलीफ्लोरा झाड़ी प्रमुख झाड़ी भूमि है। वनस्थली में मुख्य पौधें प्रजातियां मित्राजिनापारविफ्लोरा, सिजीगियमक्मिनि, अकाकिया निलोटिका, सलवाडोरा स्पा., केपरिस स्पा. और ज़िज़िफस स्पा. पाये जाते हैं। कुल मिलाकर उद्यान 372 पौधें प्रजातियों को आश्रय प्रदान करता है जिसमें 96 जलीय पौधें शामिल हैं।

और, यहां नीलगाय (बोसेलाफुस्ट्रागोकामेलस), फेरल मवेशी (बोस्टौरस) और चीतल (सर्वस एक्सिस) की बहुतायत है जबिक सांबर (सर्वस यूनिकोलर) इस संरक्षित क्षेत्र से दुर्लभ प्रजातियों में अभिलिखित है। छोटे भारतीय नेवला (हर्पेस्टेजेविनकस), छोटे भारतीय सीवेट (विवर्रिकुलैनेडिका), स्ट्रीप्ड हायना (हायना हायना), भारतीय हेजहोग (हेमीचिनसिमक्रोपस), भारतीय साही (हाइस्ट्रिक्सिंडिका) और होग हिरण (एक्सिस पोर्सिनस) बहुत ही कम देखे जाते हैं। दो लेसर बिल्ली, जंगल बिल्ली (फेलिस चौस) और फिशिंग बिल्ली (प्रिओनैलुरुसिववेरिनस) और दो सीवेट जैसे दो सामान्य पालम सीवेट (पैराडाक्सुरुशेरमफ्रोडोडिटस) और छोटे भारतीय सीवेट (विवररिकुलैनडिका) उद्यान में पाए जाते हैं।

उद्यान में हेरोनी पक्षियों की 15 प्रजातियों द्वारा बनाई गई है जैसे पेंटेड स्टॉर्क, ओपन बिल स्टॉर्क, ग्रे हेरॉन, बैंगनी हेरॉन, नाइट हेरॉन, बड़े इगरेट, इंटरमीडिएट इगरेट, लिटिल इगरेट, मवेशी इगरेट, ब्लैक हेडेड इबिस, लिटिल कॉर्मोरेंट, इंडियन शेग, बड़े कॉर्मोरेंट, इंडियन डार्टर, यूरेशियन स्पूनबिल। उद्यान में अन्य पक्षी प्रजनन करने वाले व्हाईट नेक्ड स्टोर्क, ब्लेक नेक्ड स्टोर्क, लिटिल ग्रीन हेरोन, ब्लैक बिर्टन, चेस्टनट बिर्टन, येलो बिर्टन, सासर क्रेन, कॉम्ब बतख, स्पॉट बिल्ड डक, लेसर विस्टिलिंग टील, कॉटन टील, फिजेंट टेल्ड जाकाना, ब्रोंज़ विंगड जाकाना, बैंगनी मुरहेन, सफेद ब्रेस्टेड वॉटर हेन, पेंटेड स्निप, कोरा, ब्लैक पैट्जि, ग्रे फ्रैंकोलिन, बटन बुश क्वेल, शॉर्ट टूड ईगल, लेसर स्पॉटेड ईगल, ग्रेटर स्पॉट ईगल, हनी बुज़ार्ड, शिकरा, स्पैरो हॉक, डस्की हार्नड उल्लू, कॉलर स्कॉप्स उल्लू, स्पॉट उल्लू, बार्न उल्लू, मोटल्ड वुड उल्लू, कॉपरस्मिथ बार्बेट, ब्राउन हेडेड बार्बेट, लेसर फ्लेम बैक, येलो फ्रोंटेड पाइड वुड पिकर, ब्राउन क्राउन्ड पिग्मी वुडपीकर, व्हाइट चिक्ड बुलबुल, रेड वेंटेड बुलबुल, लार्फिंग कबूतर, लाल कछुए कबूतर, रिंग कबूतर, ग्रेटर कुकल, ट्री पाई, पैराडाइज फ्लाईकैचर, कॉमन वृड श्रिंक, बे बैक्ड श्रिंक, लॉग टेल्ड श्रिंक, जंगल बब्बलर, लार्ज ग्रे बब्बलर, सामान्य बब्बलर, येलो आइड बब्बलर, स्ट्रेक्ड फैन टेल्ड बब्बलर, बैंगनी सनबर्ड, टेलर पक्षी, भारतीय प्रिंसिया, एशी प्रिंसिया, पाइड मैना, ब्राह्मण मैना, सामान्य मैना, रेड म्निया, इंडियन सिलवर बिल, स्पॉटेड मुनिया, ब्लैक ड्रॉन्गो, जंगल क्रो, हाउस क्रो, हाउस स्पैरो, येलो थ्रोटेड स्पैरो, इंडियन ग्रे हॉर्नबिल, छोटे मिनीवेट, गोल्डन ओरियोइल, व्हाइट ब्रेस्टेड किंगफिशर, सामान्य किंगफिशर, लिटिल ग्रीन बी ईटर, वायर टेल्ड स्वालोव, इस्की क्रैग मार्टन, रेड वाटलेड लैपविंग, पीला वेटेड लैपविंग, इंडियन कॉरसेर, ग्रेट थिक नी, चेस्टनट बेलिड नथैट्च, मार्शल आईओरा, पाइड क्रेस्टेड कोयल, यूरेशियन कोयल, सामान्य हॉक कूकू, चेस्टनट बेल्ड रेत ग्रौसे, मिस्र गिद्ध, किंग गिद्ध, क्रेस्टेड लार्क, पैडी फील्ड पिपिट, रूफोस टेल्ड फिंच लार्क, पाइड बुश चैट, बाया वीवर, मैगी रॉबिन, इंडियन रॉबिन, ब्राउन रॉक चैट, इंडियन रोलर, व्हाइट ब्रॉइड वेग्टेल्ड, रोज रिंग्ड पैराकिट, रॉक कबूतर, येलो फूटेड ग्रीन कबूतर, सवाना नाइटजार, हुपो हैं।

और, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 2002 तक साईबेरियन क्रेन के दुर्लभ और संकटापन्न केन्द्र संख्या के लिए सिर्फ शीतकालीन क्षेत्र के लिए उपयोगी है। यह मध्य एशिया से प्रवासी पक्षियों के लिए मुख्य शीतकालीन क्षेत्र प्रदान करता है। उद्यान में रैपटर्स की लगभग 42 प्रजातियां और उल्लू की 9 प्रजातियां देखी जाती है। क्षेत्र में विभिन्न तितली प्रजातियां भी अभिलिखित की गई है जिनमें सेरियाग्रिओन कोरोमनडेलियानम, स्यूडग्रियोन डेकोरम, इस्रुरा डेलीकेट, इस्रुरा सेनेगलेंसिस, एग्रीकोनेमिसाँ योग्मे, ब्रैचिथेमिस कनटामिनेट, डीप्लाकोइडेस स्ट्रिवयालिस, ट्राइथेमिस पालिडिनर्विस आदि शामिल हैं; केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से चेलोनियल जीवजंतओं की अधिक से अधिक 7 प्रजातियां स्पॉटेड पॉन्ड टर्टल (*जियोलेमीशमिलटोनी*), क्राउन्ड रिवर टर्टल (*हार्डेलथुरजी*), इंडियन रूफड टर्टल (कच्गातेक्टा), इंडियन टेंट टर्टल (कच्गा टेंटोरिया), इंडियन सोफ्टशेल टर्टल (एस्पिड़ेटेगैंगेटिकस), इंडियन पीकॉक सोफ्टशेल टर्टल (एस्पिडेरेशेश्रम), और इंडियन फ्लैप्सहेल टर्टल (लिस्मिस्प्ंक्टाटाटा) हैं। उद्यान में अन्य महत्वपूर्ण सरीसृप इंडियन रॉक पायथन *(पायथन मॉलूरस)*, रसेल 'वाइपर *(दबोइया रसेली)*, भारतीय सॉ-स्केल्ड वाइपर *(एचिस कैरिनैटस)*, बंगाल मॉनिटर *(वाराणस बेंगालेन्सिस)*, कॉमन रेत बोआ (एरिक्स कोनिकस) आदि पाए जाते हैं। उद्यान में इचथयो जीवजंत भी समृद्ध है उद्यान में मछलियों की लगभग 57 प्रजातियां अभिलिखित की गई है। उद्यान में कुछ सामान्य मछलियां कटला (कैटलकाटाला), स्केल-कार्प (साइप्रिनसकारपिओकोमिनस), बाटा लैबियो (लैबोबाटा), चिल्वा (सेलोस्टोमाबाकाइला), रोह (लैबोरोहिता), एलोंगैटेड ग्लास-पेर्चलेट (*चंदानामा*), मगुर (क्लारीसबेट्राचस), स्टिंगिंग कैटफ़िश (हेटरोपनेस्टेसफॉसिलिस) आदि पाई जाती हैं।

और, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी, पर्यावरण एवं जैव विविधता की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान राज्य में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के चारों ओर 500 मीटर तक के क्षेत्र को केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार हैं, अर्थात्:-

- 1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के आसपास 500 मीटर तक है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन 14.25 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है।
- (2) केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध ।** में दिया गया है।
- (3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के संरक्षित क्षेत्र का मानचित्र उपाबंध -IIक, उपावंध -IIaक, उपावंध -IIaक
- (4) केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की सीमा और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-निर्देशांकों की सूची क्रमशः **उपाबंध** III की सारणी क एवं ख में दी गई है।
- (5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशंकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची उपाबंध IV के रूप में संलग्न है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत 13 ग्राम हैं। 2011 जनगणना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों के क्षेत्र की जनसंख्या 20,195 है जिसमें औसत साक्षरता दर लगभग 68.12% है। स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की उच्च साक्षरता दर है। सामान्यतः बोले जाने वाली बोलियां हिन्दी, ब्रज-भाषा, मेवाती और इंगलिश है। क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के मुख्य स्त्रोत कृषि और पशु पालन है। इसके अलावा, क्षेत्र के कई लोग पर्यटन उद्योगों में प्रकृति मार्गदर्शक, रिक्शा चलाना और होटल में कुशल और अर्द्ध कुशल मजदरों के रूप में, भरतपुर के आसपास और छोटे पैमाने पर उद्योगों के रूप में कार्यरत हैं।
- 2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अविध के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।
- (2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, के अनुरूप बनाई जाएगी।

- (3) आंचलिक महायोजनायें पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार की जायेगी:--
 - (i) पर्यावरण;
 - (ii) वन और वन्यजीव;
 - (iii) कृषि;
 - (iv) राजस्व;
 - (v) शहरी विकास;
 - (vi) पर्यटन;
 - (vii) ग्रामीण विकास;
 - (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
 - (ix) नगरपालिका;
 - (x) पंचायती राज;
 - (xi) लोक निर्माण विभाग।
- (4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों को अधिक दक्ष और पर्यावरण अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।
- (5) आंचलिक महायोजना में वन-रहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी। जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।
- (6) आंचिलक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामीण और शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का सहायक मानिचत्रों के साथ निर्धारण किया जाएगा। इस योजना में विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा देने वाले मानिचत्र भी दिए जायेंगें।
- (7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा तथा इस अधिसूचना के पैरा 4 में तालिका में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा तथा स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के किए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास सुनिश्चित तथा संवर्धित किया जायेगा।
- (8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी।
- (9) आंचलिक महायोजना के अंतर्गत पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित किया जाएगा ताकि स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा तथा पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास सुनिश्चित किया जा सके।
- (10) आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि निगरानी के अपने कर्तव्यों का इस अधिसूचना के अनुसार निवर्हन कर सके।
- 3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए, निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) भू-उपयोग - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, उद्यानों तथा आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए खुले स्थानों का वाणिज्य और उद्योग संबंधी विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे कि:-

- i. विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का निर्माण करना;
- ii. बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का निर्माण और नवीकरण;
- iii. प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- iv. कुटीर उद्योग, ग्रामीण उद्योग और पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार और स्थानीय सुविधाएं तथा ग्रह-वास; और
- v. संवर्धित क्रियाकलाप और पैरा-4 में वर्णित क्रियाकलाप :

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों का अनुपालन किए बिना तथा संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों अथवा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर की भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि की, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जायेगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी।

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि के सुधार में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा।

अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने पर्यावासों एवं जैव विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे।

(2) प्राकृतिक जल स्रोत -- सभी प्राकृतिक जल स्रोतों, के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आचंलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी तथा क्षेत्रों में या आसपास के क्षेत्रों में प्रतिषिद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए राज्य सरकार द्वारा सख्त दिशानिर्देश तैयार किए जाएंगे।

(3) पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन:

- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा।
- (ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग द्वारा राज्य के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

- (ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का एक घटक होगी।
- (घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे:-
 - (i) राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इसमें जो भी निकट हो, किसी होटल या रिजार्ट का नया संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । तथापि पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक नए होटलों और रिजार्टों की स्थापना पूर्व परिभाषित एवं अभीहित क्षेत्रों में अनुज्ञात की जाएगी।
 - (ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा।
 - (iii) आंचिलक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास तथा विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विशिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नये होटल/रिजार्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा।
- (4) **प्राकृतिक विरासत** पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि सभी जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी तथा उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी जो आंचलिक महायोजना का भाग होगी।
- (5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कृत्रिम क्षेत्रों, ऐतिहासिक स्थापत्य संबंधी सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में उनके संरक्षण के लिए विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।
- (6) **ध्विन प्रदूषण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्विन प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन बनाए गए ध्विन प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के अनुसार किया जाएगा।
- (7) **वायु प्रदूषण** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधो और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा।
- (8) **बहिस्राव का निस्सारण** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्रावों का निस्सारण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शामिल किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों के अनुसार किया जाएगा।
- (9) ठोस अपशिष्ट ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन निम्नानुसार किया जायेगा -
- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 समय समय पर यथासंशोधित राज्य सरकार द्वारा अधिसुचित प्रासंगिक नियमों के

उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थान पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

- (ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रंबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।
- (10) जैव चिकित्सा अपशिष्ट- (क) जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान निम्न प्रकार से किया जाएगा :-
- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय –समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल ठोस प्रंबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।
- (11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन:** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय –समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.िन 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (12) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन: पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय –समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (13) **ई-अपशिष्ट:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय -समय पर यथा संशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (14) **सड़क-यातायात:** सड़क यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।
- (15) **वाहन जिनत प्रदूषण:** वाहन जिनत प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन जैसे कि सीएनजी, एलपीजी आदि के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे।
- (16) **औद्योगिक ईकाइयां: -** (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी भी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं की जायेगी।
- (ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात की जायेगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जायेगा।
- (17) पहाड़ी ढलानों का संरक्षण: पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जायेगा:

- (क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुमित नहीं होगी।
- (ख) जिन विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है, उनमें कोई भी संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।
- 4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और उसके तहत बनाए गए नियमों तथा तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
1	2	3
	क. प्रतिषिद्ध	क्रियाकलाप
1.	तोड़ने की इकाइयां ।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां प्रतिषिद्ध हैं, सिवाय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं के नहीं होंगी, जिसके अंतर्गत गृहों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए मिट्टी की खुदाई और व्यक्तिक उपभोग के लिए गृहों के निर्माण के लिए देशी टाइलों या ईंटों का संनिर्माण भी है।
		(ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्विन आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना हैं।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी। जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा होगी। इसके अतिरिक्त, गैर- प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

3.	होटलों और रिजॉर्टो की वाणिज्यिक स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
4.	नई बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
5.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
6.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
7.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितकी संवेदी जोन के भीतर नई आरा मिल स्थापित करना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
8.	ईंट भट्टों की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
9.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
10.	प्लास्टिक के थैलों का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
11.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
12.	ध्वनि प्रदूषण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
		भेत क्रियाकलाप
13.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी प्रकार का नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:
		परंतु स्थानीय निवासियों की आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थानीय लोगों को, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों
		सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप- विधियों के अनुसार संनिर्माण करने की अनुमित दी जाएगी जैसे कि:-
		(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना;
		(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण करना;

		(iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार गैर- प्रदूषणकारी लघु
		ाकए गए वंगाकरण के अनुसार गर- प्रदूषणकारा लघु उद्योगों की स्थापना;
		(iv) ग्रामीण उद्योगों सहित कुटीर उद्योग, सुविधा भण्डारों और ग्रह वास सहित पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक स्थानीय सुविधाओं की व्यवस्था; और
		(v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध बढ़ावा दिए गए क्रियाकलाप ।
		परन्तु गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमित से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (ख) एक किलोमीटर से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
14.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग ।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद पैदा करते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
15.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमित के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी।
		(ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
16.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
17.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने और तार-बिछाने एवं अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
18.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किये जायेंगे।
19.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण ।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किये जायेंगे।
20.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर,	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
	ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि ।	

21.	पर्वतीय ढ़लानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
22.	रात्रि में सड़क यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।
23.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
24.	फर्मों, कॉर्पोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
25.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित/अपशिष्ट जल/बहिर्स्चाव का निस्सारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिस्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/ बहिस्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा।
26.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक दोहन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
27.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं/ बोर कुएं आदि का निर्माण ।	समुचित प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा तथा क्रियाकलाप की सख्त निगरानी की जाएगी।
28.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
29.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
30.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
	ग. संवर्धिः	त क्रियाकलाप
31.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

37.	बागवानी और जड़ी-बूटियों का वृक्षारोपण	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	अवक्रमित भूमि/वनों या वास-स्थलों की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
41.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. मानीटरी समिति :

केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की प्रभावी निगरानी के लिए एक मानीटरी समिति गठित करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:--

1.	जिला कलेक्टर भरतपुर, अध्यक्ष	अध्यक्ष
2.	निम्नलिखित विभागों के जिला स्तर के अधिकारी: पीडब्ल्यूडी, खनन, सिंचाई, पर्यटन, पुलिस, नगर परिषद, उद्योग, यूआईटी	सदस्य
3.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का क्षेत्रीय अधिकारी (आरओ)	सदस्य
4.	माननीय वन्यजीव वार्डन भरतपुर	सदस्य
5.	एसडीओ, भरतपुर	सदस्य
6.	बीडीओ, सेवार	सदस्य
7.	वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि, जिसे राज्य सरकार द्वारा नामित किया जायेगा	सदस्य
8.	राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला जैव विविधता का एक विशेषज्ञ	सदस्य
9.	राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ	सदस्य

10. वन (वन्यजीव) भरतपुर के उप संर		सदस्य सचिव।
-----------------------------------	--	----------------

6. निर्देश निबंधन

- (i) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।
- (ii) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुन: गठन किए जाने तक होगा और बाद में निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।
- (iii) निगरानी समिति वास्तविक विशिष्ट दशाओं के आधार पर उन क्रियाकलापों की संवीक्षा करेगी जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्तर्गत आते हैं। इनमें वे क्रियाकलाप शामिल नहीं हैं जो इस अधिसूचना के पैरा 4 में दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट हैं तथा जिन्हे केन्द्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के लिए भेजा गया है।
- (iv) वे क्रियाकलाप, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते हैं, परन्तु जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आते हैं, उनकी, इस अधिसूचना के पैरा-4 में दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, वास्तविक स्थल विशिष्ट दशाओं के आधार पर, निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जायेगी और उन्हें संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को भेजा जायेगा।
- (v) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित कलेक्टर या संबंधित कार्य प्रभारी इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा।
- (vi) निगरानी समिति प्रत्येक मामले में आवश्यकताओं के आधार पर संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
- (vii) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध V** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।
- (viii) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे ।
- 7. अतिरिक्त उपाय.- इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. सर्वोच्च न्यायालय, आदि आदेश.- इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे।

[फा. सं. 25/20/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

<u>उपाबंध-।</u>

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण


क. केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की सीमा का विवरण

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान (27°07′06″उ - 27°12′02″ उ और 77°29′05″ पू - 77°33′ 09″ पू), भरतपुर जिला में गंभीर और बानगंगा निदयों के संगम पर स्थित है (मानचित्र 1)। यह बानगंगा और गंभीर नदी का बाढ़ समतल क्षेत्र में निचला क्षेत्र है जो कि यमुना नदी की सहायक निदयों का लगभग 28.73 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आच्छादित करता है। यह दिल्ली से 180 किलोमीटर, दिल्ली-जयपुर राजमार्ग के साथ, आगरा से 50 किलोमीटर और भरतपुर के दिक्षण पूर्व से 2 किलोमीटर में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान गंगेटिक बेसिन के चरम पश्चिमी किनारे पर, भरतपुर शहर के दिक्षण पूर्व --- किलोमीटर, आगरा के पश्चिमी 55 किलोमीटर और नई दिल्ली के दिक्षण में 187 किलोमीटर पर स्थित है।

ख. केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

- क) उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन राजस्थान, भरतपुर जिला में गंभीर और बानगंगा नदियों के संगम पर स्थित है, निचला क्षेत्र लगभग 29 वर्ग किलोमीटर के उत्तर अक्षांश 27° 07` 06`` और 27° 12` 02`` और पूर्व देशांतर 77° 29` 05`` और 77° 33` 09`` के बीच स्थित है।
- ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमाएं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के लिए अधिसूचित सीमाओं के चारों ओर 500 मीटर है।
- ग) पारिस्थितिकी संवेदी जोन भरतपुर नगरपालिका निगम और पंचायत समिति सेवा के क्षेत्रों को आच्छादित करता है।
- घ) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र उपाबंध-क में दिया गया है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के ग्रामों की सूची उपाबंध-ख में दी गई है।
- ङ) वन खंड क्षेत्रों (नगरपालिका क्षेत्रों के अंतर्गत और बाहरी दोनों) में सभी क्रियाकलाप राजस्थान वन अधिनियम, 1953 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों को नियमित किया गया है और संरक्षित क्षेत्रों (राष्ट्रीय उद्यान) में सभी क्रियाकलापों के वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (53 का 1972) के प्रावधानों को नियमित किया गया है।

<u>उपाबंध-॥क</u> केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर जिला का अवस्थिति मानचित्र




<u>उपाबंध-॥ख</u>

प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र




<u>उपाबंध-॥ग</u>

प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) की टोपोशीट पर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी का मानचित्र




<u>उपाबंध- ॥घ</u>

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का भूमि उपयोग एवं भूमि आवरण मानचित्र



<u>उपाबंध- ॥ड.</u>

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का भूमि उपयोग एवं भूमि आवरण मानचित्र



<u>उपाबंध -।।।</u>

सारणी कः केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के प्रमुख स्थानों के भू-निर्देशांक

क्र. सं.		अक्षांश			देशांतर	
	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड
1	4	5	6	7	8	9
1	27	12	13.5	77	30	25.0
2	27	12	09.00	77	30	30.1
3	27	12	05.00	77	30	37.9
4	27	12	04.9	77	30	37.9
5	27	12	03.0	77	30	39.7
6	27	12	03.7	77	30	40.9
7	27	11	45.9	77	30	55.2
8	27	11	45.7	77	30	55.0
9	27	11	44.8	77	30	55.9
10	27	11	44.7	77	30	55.9
11	27	11	43.9	77	30	54.1
12	27	11	25.7	77	31	06.4
13	27	11	24.8	77	31	05.5
14	27	11	24.6	77	31	05.7
15	27	11	25.5	77	31	06.5
16	27	11	24.8	77	31	07.3
17	27	11	24.7	77	31	07.3
18	27	11	24.5	77	31	07.4
19	27	11	24.5	77	31	07.4
20	27	10	58.7	77	31	37.4
21	27	10	58.7	77	31	37.5
22	27	10	35.3	77	32	07.0
23	27	10	28.2	77	32	01.1
24	27	10	14.2	77	32	16.3

25	27	10	07.1	77	32	14.7
26	27	09	57.2	77	32	34.4
27	27	09	26.1	77	32	41.7
28	27	09	31.2	77	33	03.0
29	27	09	27.3	77	33	21.5
30	27	08	47.6	77	33	42.5
31	27	08	27.6	77	33	32.7
32	27	8	12.3	77	33	37.6
33	27	8	11.5	77	33	38.1
34	27	7	45.9	77	33	20.0
35	27	7	48.3	77	33	14.0
36	27	7	36.4	77	32	55.6
37	27	7	58.7	77	32	03.8
38	27	8	22.9	77	32	15.5
39	27	8	35.2	77	31	47.1
40	27	8	39.2	77	31	48.8
41	27	8	42.5	77	31	42.0
42	27	8	37.1	77	31	40.7
43	27	8	47.1	77	31	22.4
44	27	8	30.1	77	31	09.0
45	27	8	30.7	77	31	03.4
46	27	8	25.3	77	31	02.2
47	27	8	25.2	77	31	02.2
48	27	8	25.0	77	31	02.0
49	27	8	52.2	77	29	57.4
50	27	9	22.0	77	30	07.2
51	27	11	03.7	77	29	55.4
52	27	11	20.3	77	29	50.3
53	27	11	26.4	77	30	06.7

54	27	11	37.0	77	29	57.4
55	27	11	34.3	77	29	52.1
56	27	11	34.1	77	29	51.9
57	27	11	33.6	77	29	51.8
58	27	11	32.9	77	29	52.0
59	27	11	29.8	77	29	50.4
60	27	11	30.1	77	29	49.3
61	27	11	28.7	77	29	48.6
62	27	11	27.7	77	29	49.2
63	27	11	26.5	77	29	48.6
64	27	11	28.5	77	29	39.3
65	27	11	55.5	77	29	48.6
66	27	11	69.3	77	29	56.2
67	27	11	58.8	77	29	56.5
68	27	11	54.9	77	30	04.2
69	27	11	58.3	77	30	11.7
70	27	11	56.4	77	30	13.5
71	27	11	58.5	77	30	16.5
72	27	12	04.2	77	30	17.9
73	27	12	07.8	77	30	13.8
74	27	12	10.8	77	30	19.5
75	27	12	10.7	77	30	19.7
76	27	12	10.7	77	30	19.8
77	27	12	10.9	77	30	19.6

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रमुख स्थानों के भू-निर्देशांक

क्र. सं.	देशांतर	अक्षांश
1	77° 32' 57.061" पू	27° 7' 19.674" ਤ
2	77° 31' 50.309" पू	27° 7' 54.770" ਤ

3	77° 31' 55.581" पू	27° 8' 15.169" ਤ
4	77° 31' 31.268" पू	27° 8' 25.438" ਤ
5	77° 31' 7.778" पू	27° 8' 8.651" उ
6	77° 29' 43.364" पू	27° 8' 48.149" ਤ
7	77° 29' 52.300" पू	27° 9' 18.690" ਤ
8	77° 29' 37.610" पू	27° 9' 34.830" ਤ
9	77° 29' 30.137" पू	27° 9' 40.033" ਤ
10	77° 29' 12.936" पू	27° 10' 20.505" ਤ
11	77° 29' 24.859" पू	27° 10' 58.917" ਤ
12	77° 29' 36.057" पू	27° 11' 8.879" ਤ
13	77° 29' 25.922" पू	27° 11' 17.634" ਤ
14	77° 29' 22.291" पू	27° 11' 27.880" ਤ
15	77° 29' 25.921" पू	27° 11' 38.524" ਤ
16	77° 29' 34.421" पू	27° 12' 2.923" उ
17	77° 30' 3.425" पू	27° 12' 15.790" ਤ
18	77° 30' 26.030" पू	27° 12' 29.552" ਤ
19	77° 30' 48.287" पू	27° 12' 21.038" ਤ
20	77° 30' 58.992" पू	27° 12' 14.557" ਤ
21	77° 31' 17.843" पू	27° 11' 45.578" ਤ
22	77° 31' 27.834" पू	27° 11' 30.649" ਤ
23	77° 32' 26.878" पू	27° 10' 43.502" ਤ
24	77° 32' 28.394" पू	27° 10' 30.010" ਤ
25	77° 32' 35.106" पू	27° 10' 23.890" ਤ
26	77° 32' 39.205" पू	27° 10' 15.741" ਤ
27	77° 32' 59.045" पू	27° 9' 45.973" उ
28	77° 33' 33.892" पू	27° 9' 41.586" ਤ
29	77° 33' 52.860" पू	27° 9' 19.445" उ
30	77° 34' 4.414" पू	27° 8' 47.688" उ
31	77° 33' 56.839" पू	27° 8' 28.098" उ
32	77° 33' 59.815" पू	27° 7' 58.573" उ
33	77° 33' 35.434" पू	27° 7' 33.304" उ
34	77° 33' 22.959" पू	27° 7' 30.296" उ

उपाबंध -।∨ भू-निर्देशांकों के साथ केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्राम क्षेत्र की सूची

क्र.सं.	शहर/ग्राम	अक्षांश	देशांतर	तहसील
1.	जवाहर नगर कालोनी	77°30'17.22"	27°12'25.30"	भरतपुर
2.	जटोली	77°31'11.04"	27°11'28.93"	भरतपुर
3.	घसोला	77°32'45.3"	27°10′16.1"	भरतपुर
4.	खोहरी नगला	77°32'55.6"	27°09'52.6"	भरतपुर
5.	बेहनेरा	77°33'55.3"	27°09'20.9"	भरतपुर
6.	दारापुर खुर्द	77°33'50.1"	27°07'42.0"	भरतपुर
7.	दारापुर कलान	77°33'31.8"	27°07'35.2"	भरतपुर
8.	नगला बंजारा/नसवारिया	77°32'31.3"	27°07'35.4"	भरतपुर
9.	चक शौरावाली	77°31'56.32"	27°08'18.92"	भरतपुर
10.	अघापुर	77°31'21.0"	27°08'19.8"	भरतपुर
11.	रामनगर	77°29'05.8"	27°09'0.4"	भरतपुर
12.	चक रामनगर	77°29'28.5"	27°09'54.8"	भरतपुर
13.	मल्लाह	77°29'36.4"	27°11'21.7"	भरतपुर

उपाबंध -∨

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति - की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट का प्रपत्र

- 1. बैठकों की संख्या और तारीख।
- 2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें ।
- 3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति।

- 4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार। विवरण उपाबंध के रूप में संलग्न करें।
- 5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
- 6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
- 7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम. 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार।
- 8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2018

S.O. 5844(E).—In supersession of Ministry's draft notification S.O. 2809(E) dated the 13th October, 2015, the following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, Keoladeo National Park is spread over an area of 28.73 square kilometer and lies at the confluence of the Gambhir and Banganga rivers in Bharatpur District, Rajasthan (27°07′06″N - 27°12′02″N and 77°29′05″E - 77°33′ 09″E). It is a low lying area in the floodplains of river Banganga and Gambhir which are tributaries of river Yamuna. It is situated 180 km. from Delhi, along the Delhi – Jaipur Highway, 50 km. from Agra and 2 km. South East of Bharatpur.

AND WHEREAS, this Park, locally known as Ghana, is a mosaic of grasslands, woodlands, woodland swamps and wetlands. The National Park has significant international ecological importance and it has been declared as a Ramsar site in 1981 and a World Heritage site in 1985. The National Park is often referred to as Bird's Paradise and acts as a major wintering area for migratory birds from Central Asia including for rare and endangered central population of the Siberian Crane. The Keoladeo National Park has significant conservation values as it supports a vast array of flora and fauna which forms important tropic components in ecological pyramids. The wetland regulates the climate of the surrounding area and recharges the groundwater aquifer of the area. The wetland is a centre for ornithological recreation as it provides habitat for many migratory and native birds. It is a wetland of International and National Importance.

AND WHEREAS, Keoladeo National Park is rich in biodiversity. These diverse habitats are home to 375 avian species including 140 species of waterfowl, 372 species of plants, 34 species of mammals, 57 species of fish, 14 species of snakes, 5 species of lizards, 3 species of Geckos, 7 species of turtles, 8 species of amphibians, 71 species of butterflies, more than 16 species of dragonflies and 8 species of spiders. The Keoladeo National Park falls in the Punjab Plains biotic province of semi-arid bio-geographical zone (Rodgers and Panwar 1988), which is a flat dry area of the Indus-Yamuna watershed. The vegetation of the park is a blend of xerophytes and semi-xerophytes consisting predominantly of Desibabool (Acacia nilotica), Capparis decidua, C. sepiaria, Kadam (Mitragynaparviflora), Kejri (Prosopis cineraria), Pilu (Salvadoraoleoides), Jamun (Syzygiumcumini) and Zizyphus sp. The most widespread grasses in the Park are Paspalumdistichum, Paspalidiumpunctatum, Cynodondactylon, Desmostachyabipinnata, Dicanthiumannulatum and Vetiveriazizanioides. Kadam (Mitragynaparviflora) trees, distributed in scattered pockets, dominate large sized trees and

the woodland, while thorny Acacia sp. and *Prosopisjuliflora* shrubs dominate shrub lands. The major plant species found in woodland are *Mitragynaparviflora*, *Syzygiumcumini*, *Acacia nilotica*, *Salvadora sp.*, *Capparis sp. and Zizyphus* sp. Altogether, the park supports 372 plant species which includes 96 aquatic plants.

AND WHEREAS, Nilgai (Boselaphustragocamelus), feral cattle (Bostaurus) and Chital (Cervus axis) are abundant while Sambar (Cervus unicolor) is rare species recorded from this protected area. Small Indian mongoose (Herpestesjavanicus), Small Indian civet (Viverriculaindica), Stripedhyaena (Hyaenahyaena), Indian hedgehog (Hemiechinusmicropus), Indian porcupine (Hystrixindica) and Hog deer (Axis porcinus) are very rarely sighted. Two lesser cats the Jungle cat (Felis chaos) and Fishing cat (Prionailurusviverrinus) and two civets viz. Common palm civet (Paradoxurushermaphroditus) and Small Indian civet (Viverriculaindica) are found in the park.

Heronry in the park is formed by of 15 species of birds viz. Painted stork, Open bill stork, Grey heron, Purple heron, Night heron, Large egret, Intermediate egret, Little egret, Cattle egret, Black headed ibis, Little cormorant, Indian shag, Large cormorant, Indian darter, Eurasian spoonbill. Other birds breeding in the park are White necked stork, Black necked stork, Little green heron, Black bittern, Chestnut bittern, Yellow bittern, Sarus crane, Comb duck, Spot billed duck, Lesser whistling teal, Cotton teal, Pheasant tailed jacana, Bronze winged jacana, Purple moorhen, White breasted water hen, Painted snip, Kora, Black patridge, Grey francolin, Button bush quail, Short toed eagle, Lesser spotted eagle, Greater spotted eagle, Honey buzzard, Shikra, Sparrow hawk, Dusky horned owl, Collared scops owl, Spotted owlet, Barn owl, Mottled wood owl, Coppersmith barbet, Brownn headed barbet, Lesser flame back, Yellow fronted pied wood pecker, Brownn crowned pigmy woodpecker, White cheeked bulbul, red vented bulbul, Laughing dove, Red turtle dove, ring dove, Greater coucal, Tree pie, Paradise flycatcher, Common wood shrike, Bay backed shrike, Long tailed shrike, Jungle babbler, Large grey babbler, Common babbler, Yellow eyed babbler, Streaked fan tailed babbler, Purple sunbird, Tailor bird, Indian prinia, Ashy prinia, Pied myna, Brahmini myna, Common myna, Red munia, Indian silver bill, Spotted munia, Black drongo, Jungle crow, House crow, House sparrow, Yellow throated sparrow, Indian grey hornbill, Small minivet, Golden oriole, White breasted kingfisher, Common kingfisher, Little green bee eater, Wire tailed swallow, Dusky crag marten, Red wattled lapwing, Yellow wattled lapwing, Indian courser, Great thick knee, Chestnut bellied nuthatch, Marshals iora, Pied crested cuckoo, Eurasian koel, Common hawk cuckoo, Chestnut bellied sand grouse, Egyptian vulture, King vulture, Crested lark, Paddy field pipit, Rufous tailed finch lark, Pied bush chat, Baya weaver, Magpie robin, Indian robin, Brown rock chat, Indian roller, White browed wagtail, Rose ringed parakeet, Rock pigeon, Yellow footed green pigeon, Savanna nightjar, Hoopoe.

AND WHEREAS, Keoladeo National Park used to be the only wintering area for the rare and endangered central population of the Siberian Crane till 2002. It serves as a major wintering area for migratory birds from Central Asia. Around 42 species of raptors and 9 species of owls are seen in the park. The area has also recorded various including Ceriagrioncoromandelianum, Pseudagrion decorum, Ischnura Ischnurasenegalensis, Agriocnemisoygmae, Brachythemis contaminate, Deplacoidestrivialis, Trithemis pallidinervisetc.; As many as seven species of chelonial fauna are reported from the Keoladeo National Park Spotted Pond Turtle (Geoclemyshamiltonii), Crowned River Turtle (Hardellathurjii), Indian Roofed Turtle (Kachugatecta), Indian Tent Turtle (Kachuga tentoria), Indian Softshell Turtle (Aspideretesgangeticus), Indian Peacock Softshell Turtle (Aspidereteshurum), and Indian Flapshell Turtle (Lissemyspunctata). Other important reptiles found in the park are Indian Rock Python (Python molurus), Russell's Viper (Daboiarusselii), Indian Saw-scaled Viper (Echiscarinatus), Bengal Monitor (Varanusbengalensis), Common Sand Boa (Eryxconicus) etc. The Park is rich in Ichthyo fauna also About 57 species of fishes have been reported in the park. Catla (Catlacatla), Scale-carp (Cyprinuscarpiocomminus), Bata labeo(Labeobata), Chilwa (Salmostomabacaila), Rohu (Labeorohita), Elongated glass-perchlet (Chandanama), Magur (Clariasbatrachus), Stinging catfish (Heteropneustesfossilis) etc are some common fish found in the park.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Keoladeo National Park, as Eco-sensitive zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent 500 meters uniform around the boundary of Keoladeo National Park in Bharatpurdistricts of Rajasthan as the Keoladeo National Park, Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. -

- (1) The extent of Eco-sensitive Zone shall be **500 meters** uniform around the Keoladeo National Park. The area of Eco-sensitive Zone is **14.25 square kilometres**.
- (2) The boundary description of Keoladeo National Park and its Eco-sensitive Zone is given in Annexure-I.

- (3) The map of the Protected Area demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as Annexure-II A, Annexure-IIB, Annexure-IIC, Annexure-IIID, Annexure-IIIE, Annexure-IIIF and Annexure-IIIG
- (4) The list of geo-coordinates of the boundary of Keoladeo National Park and its Eco-sensitive Zone are given in table A & B of Annexure-III.
- (5) The list of villages falling within the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV.**There are 13 villages falling inside the Eco-sensitive zone. As of 2011 census, the villages falling under the ESZ area had a population of 20,195 with an average literacy rate of around 68.12%. Males have higher literacy rate than the females. The languages commonly spoken are Hindi, Braj-Bhasha, Mewati and English. The major source of economy of the area is Agriculture and Animal husbandry. Besides, many people of the area are engaged in tourism industries as nature guides, rickshaw pullers and as skilled and semi-skilled labourers in hotels, small scaled industries in and around Bharatpur.
- **2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-**(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the Competent authority of State.
 - (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
 - (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan, namely:-
 - (i) Environment;
 - (ii) Forest and Wildlife;
 - (iii) Agriculture;
 - (iv) Revenue;
 - (v) Urban Development;
 - (vi) Tourism;
 - (vii) Rural Development;
 - (viii) Irrigation and Flood Control;
 - (ix) Municipal;
 - (x) Panchayati Raj;
 - (xi) Public Works Department.
 - (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
 - (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
 - (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps and the Plan shall be supported by maps giving details of existing and proposed land use features.
 - (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.
 - (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
 - (9) The said Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.

- (10) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.
- **3. Measures to be taken by the State Government -** The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-
- (1) Land use. Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:

- i. Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- ii. Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- iii. Small scale industries not causing pollution;
- iv. Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting ecotourism including home stay; and
- v. Promoted activities and given under para 4.

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

- (2) **Natural water bodies.**-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.
- (3) **Tourism/ Eco-tourism.-** (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.
 - (b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.
 - (c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.
 - (d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-
 - (i) no new construction of hotels and resorts shall be permitted within one kilometres from the boundary of the National park or upto the extent of the Eco-Sensitive zone whichever is nearer; provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the National park till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.
 - (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;
 - (iii) til the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction is permitted within ESZ area.
- (4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

- (5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution.** -Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and amendments thereto.
- (7) **Air pollution.-** Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder and amendments thereto.
- (8) **Discharge of effluents.** Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.
- (9) Solid wastes. -Disposal and management of solid wastes shall be as under:-
 - (i) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.
 - (ii) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.
- (10) **Bio-medical waste.** Bio medical waste management shall be as under:
 - (i) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016.
 - (ii) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.
- (11) **Plastic waste management.** The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.
- (12) **Construction and demolition waste management.** The construction and demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.
- (13) **E-waste**. The e waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.
- (14) **Vehicular traffic**. The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
- (15) **Vehicular pollution**. Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.
- (16) Industrial units.
 - (a) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(b) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) **Protection of hill slopes**. - The protection of hill slopes shall be as under:

- (a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;
- (b) no construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
		A. Prohibited Activities
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities.
		The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. GodavarmanThirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive zone as per classification of Industries in the guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless otherwise specified in this notification and non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Commercial establishment of hotels and resorts.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Establishment of major hydro- electric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.

8.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
10.	Use of polythene bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
11.	Solid Waste Management.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
12.	Noise pollution.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
		B. Regulated Activities
13.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometer from the boundary of the Protected Area or up to extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:
		Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as:
		(i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
		(ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
		(iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016;
		(iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including homestays; and
		(v) Promoted activities listed in this Notification:
		Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.
		(b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
14.	Small scale nonpolluting industries.	Nonpolluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
15.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government.
		(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.
16.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
17.	Erection of electrical and communication towers and laying	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).

	of cables and other infrastructures.	
18.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
19.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
20.	Undertaking other activities related to tourism like over flying the Ecosensitive zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable laws.
21.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
22.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
23.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
24.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Regulated under applicable laws.
25.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water, and otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
26.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable laws.
27.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated under applicable laws and the activity shall be strictly monitored by the concerned authority.
28.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
29.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
30.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
		C. Promoted Activities
31.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
32.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
33.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
34.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
35.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc. shall be actively promoted.
36.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
37.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.

38.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
39.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
40.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
41.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee:

The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions of this Notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 comprising of the following, namely:-

1.	District Collector Bharatpur, Chairman	Chairman
2.	District level officers of the following departments: PWD, Mining, Irrigation, Tourism, Police, Municipal council, Industry, UIT	Member
3.	Regional Officer (RO) of the State Pollution Control Board	Member
4.	Hon. Wildlife warden Bharatpur	Member
5.	SDO Bharatpur	Member
6.	BDO Sewar	Member
7.	A representative of Non-governmental Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by the State Government	Member
8.	A expert in Biodiversity nominated by the State Government	Member
9.	One expert in Ecology from reputed institution or university of the State	Member
10.	Deputy Conservator of Forest (Wildlife) Bharatpur	Member Secretary.

6. Terms of Reference. -

- (i) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
- (ii) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.
- (iii) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (iv) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (v) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (vi) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

- (vii) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure V.
- (viii) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
- **7.** Additional measures. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
- **8. Supreme Court, etc. orders.-** The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or National Green Tribunal.

[F.No. 25/20/2015-ESZ-RE]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

BOUNDARY DESCRIPTION OF KEOLADEO NATIONAL PARK & ITS ECO-SENSITIVE ZONE

A. BOUNDARY DESCRIPTION OF KEOLADEO NATIONAL PARK

Keoladeo National Park lies at the confluence of the Gambhir and Banganga rivers in Bharatpur district, Rajasthan (27°07′06″N - 27°12′02″N and 77°29′05″E - 77°33′ 09″E) (Map.1).


It is a low lying area in the floodplains of river Banganga and Gambhir which are tributaries of river Yamuna covering an area of about 28.73 sq. km. It is situated 180 km from Delhi, along the Delhi – Jaipur Highway, 50 km from Agra and 2 km South East of Bharatpur.

Keoladeo National Park is situated on the extreme western edge of the Gangetic basin, a kilometre south east of the Bharatpur town. 55 km west of Agra and 187 km south of New Delhi

B. BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KEOLADEO NATIONAL PARK

- (a) The said Eco-sensitive Zone is situated at the confluence of the Gambhir and Banganga rivers in Bharatpur district, Rajasthan, lies the low lying area of about 29 sq.km between 27° 07′ 06′ and 27° 12′ 02′ North latitude and between 77° 29′ 05′ and 77° 33′ 09′ East longitude.
- (b) The boundaries of Eco-sensitive Zone for Keoladeo National Park will be 500 meters around the notified limits.
- (c) The Eco-sensitive Zone covers the areas of Bharatpur Municipal Corporation and Panchayatsamiti Sewar.
- (d) The map of the Eco-sensitive Zone is at Annexure-A and the list of the villages in the Eco-sensitive Zone is at Annexure-B.
- (e) All activities in the Forest Block Areas (both within and outside Municipal Areas) shall be governed by the provisions of the Rajasthan Forest Act, 1953 and the Forests (Conservation) Act, 1980 and all the activities in the Protected Areas (National Park) shall be governed by the provisions of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972).

 $\underline{\text{ANNEXURE-IIA}}$ LOCATION MAP OF KEOLADEO NATIONAL PARK IN BHARATPUR DISTRICT




ANNEXURE- IIB
GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KEOLADEO NATIONAL PARKALONG WITH LATITUDE
AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS




ANNEXURE- IIC

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KEOLADEO NATIONAL PARKALONG WITH LATITUDE AND
LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONSON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET




ANNEXURE- IID

LAND USE & LAND COVERS MAP OF KEOLADEO NATIONAL PARK



LAND USE & LAND COVERS MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KEOLADEO NATIONAL PARK

ANNEXURE-IIE



ANNEXURE-III

TABLE A: Geo-coordinates of Prominent Locations of Keoladeo National Park

S.N.	Latitude			Longitude		
	Degree	Minute	Second	Degree	Minute	Second
1	4	5	6	7	8	9
1	27	12	13.5	77	30	25.0
2	27	12	09.00	77	30	30.1
3	27	12	05.00	77	30	37.9
4	27	12	04.9	77	30	37.9
5	27	12	03.0	77	30	39.7
6	27	12	03.7	77	30	40.9

7	27	11	45.9	77	30	55.2
8	27	11	45.7	77	30	55.0
9	27	11	44.8	77	30	55.9
10	27	11	44.7	77	30	55.9
11	27	11	43.9	77	30	54.1
12	27	11	25.7	77	31	06.4
13	27	11	24.8	77	31	05.5
14	27	11	24.6	77	31	05.7
15	27	11	25.5	77	31	06.5
16	27	11	24.8	77	31	07.3
17	27	11	24.7	77	31	07.3
18	27	11	24.5	77	31	07.4
19	27	11	24.5	77	31	07.4
20	27	10	58.7	77	31	37.4
21	27	10	58.7	77	31	37.5
22	27	10	35.3	77	32	07.0
23	27	10	28.2	77	32	01.1
24	27	10	14.2	77	32	16.3
25	27	10	07.1	77	32	14.7
26	27	09	57.2	77	32	34.4
27	27	09	26.1	77	32	41.7
28	27	09	31.2	77	33	03.0
29	27	09	27.3	77	33	21.5
30	27	08	47.6	77	33	42.5
31	27	08	27.6	77	33	32.7
32	27	8	12.3	77	33	37.6
33	27	8	11.5	77	33	38.1
34	27	7	45.9	77	33	20.0
35	27	7	48.3	77	33	14.0
36	27	7	36.4	77	32	55.6
37	27	7	58.7	77	32	03.8
38	27	8	22.9	77	32	15.5
39	27	8	35.2	77	31	47.1
40	27	8	39.2	77	31	48.8
41	27	8	42.5	77	31	42.0
42	27	8	37.1	77	31	40.7
43	27	8	47.1	77	31	22.4
44	27	8	30.1	77	31	09.0
45	27	8	30.7	77	31	03.4
46	27	8	25.3	77	31	02.2
47	27	8	25.2	77	31	02.2
48	27	8	25.0	77	31	02.0
49	27	8	52.2	77	29	57.4
50	27	9	22.0	77	30	07.2
51	27	11	03.7	77	29	55.4
52	27	11	20.3	77	29	50.3
53	27	11	26.4	77	30	06.7
54	27	11	37.0	77	29	57.4

55	27	11	34.3	77	29	52.1
				77		
56	27	11	34.1		29	51.9
57	27	11	33.6	77	29	51.8
58	27	11	32.9	77	29	52.0
59	27	11	29.8	77	29	50.4
60	27	11	30.1	77	29	49.3
61	27	11	28.7	77	29	48.6
62	27	11	27.7	77	29	49.2
63	27	11	26.5	77	29	48.6
64	27	11	28.5	77	29	39.3
65	27	11	55.5	77	29	48.6
66	27	11	69.3	77	29	56.2
67	27	11	58.8	77	29	56.5
68	27	11	54.9	77	30	04.2
69	27	11	58.3	77	30	11.7
70	27	11	56.4	77	30	13.5
71	27	11	58.5	77	30	16.5
72	27	12	04.2	77	30	17.9
73	27	12	07.8	77	30	13.8
74	27	12	10.8	77	30	19.5
75	27	12	10.7	77	30	19.7
76	27	12	10.7	77	30	19.8
77	27	12	10.9	77	30	19.6

TABLE B: Geo-coordinates of Prominent Locations of Eco-Sensitive Zone

S.No.	Longitude	Lattitude
1	77° 32' 57.061" E	27° 7' 19.674" N
2	77° 31' 50.309" E	27° 7' 54.770" N
3	77° 31' 55.581" E	27° 8' 15.169" N
4	77° 31' 31.268" E	27° 8' 25.438" N
5	77° 31' 7.778" E	27° 8′ 8.651" N
6	77° 29' 43.364" E	27° 8' 48.149" N
7	77° 29' 52.300" E	27° 9' 18.690" N
8	77° 29' 37.610" E	27° 9' 34.830" N
9	77° 29' 30.137" E	27° 9' 40.033" N
10	77° 29' 12.936" E	27° 10' 20.505" N
11	77° 29' 24.859" E	27° 10' 58.917" N
12	77° 29' 36.057" E	27° 11' 8.879" N
13	77° 29' 25.922" E	27° 11' 17.634" N
14	77° 29' 22.291" E	27° 11' 27.880" N
15	77° 29' 25.921" E	27° 11' 38.524" N
16	77° 29' 34.421" E	27° 12' 2.923" N
17	77° 30' 3.425" E	27° 12' 15.790" N
18	77° 30' 26.030" E	27° 12' 29.552" N

19	77° 30' 48.287" E	27° 12' 21.038" N
20	77° 30' 58.992" E	27° 12' 14.557" N
21	77° 31' 17.843" E	27° 11' 45.578" N
22	77° 31' 27.834" E	27° 11′ 30.649″ N
23	77° 32' 26.878" E	27° 10′ 43.502″ N
24	77° 32' 28.394" E	27° 10′ 30.010″ N
25	77° 32' 35.106" E	27° 10′ 23.890″ N
26	77° 32' 39.205" E	27° 10′ 15.741" N
27	77° 32' 59.045" E	27° 9' 45.973" N
28	77° 33' 33.892" E	27° 9' 41.586" N
29	77° 33' 52.860" E	27° 9' 19.445" N
30	77° 34' 4.414" E	27° 8' 47.688" N
31	77° 33' 56.839" E	27° 8' 28.098" N
32	77° 33' 59.815" E	27° 7' 58.573" N
33	77° 33' 35.434" E	27° 7' 33.304" N
34	77° 33' 22.959" E	27° 7' 30.296" N

ANNEXURE-IV
LIST OF VILLAGE WITH AREA COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF KEOLADEO NATIONAL
PARK ALONG WITH GEO-COORDINATES

S.No.	Township/Village	Latitude	Longitude	Tehsil
1.	Jawahar Nagar Colony	77° 30 [°] 17.22"	27° 12 ['] 25.30"	Bharatpur
2.	Jatoli	77° 31 [°] 11.04"	27° 11 [°] 28.93"	Bharatpur
3.	Ghasola	77° 32 [°] 45.3"	27° 10 [°] 16.1"	Bharatpur
4.	KhohriNagla	77° 32 ['] 55.6"	27° 09 ['] 52.6"	Bharatpur
5.	Behnera	77° 33 ['] 55.3"	27° 09 ['] 20.9"	Bharatpur
6.	DarapurKhurd	77° 33 ['] 50.1"	27° 07 ['] 42.0''	Bharatpur
7.	DarapurKalan	77° 33 ['] 31.8"	27° 07 [°] 35.2"	Bharatpur
8.	NaglaBanjara/Naswaria	77° 32 [°] 31.3"	27° 07 [°] 35.4"	Bharatpur
9.	ChakSheorawali	77° 31 [°] 56.32"	27° 08 [°] 18.92"	Bharatpur
10.	Aghapur	77° 31 [°] 21.0"	27° 08 ['] 19.8"	Bharatpur
11.	Ramnagar	77° 29 ['] 05.8"	27° 09 [°] 0.4"	Bharatpur
12.	ChakRamnagar	77° 29 [°] 28.5"	27° 09 ['] 54.8"	Bharatpur
13.	Mallah	77° 29 ['] 36.4"	27° 11 ['] 21.7"	Bharatpur

Annexure -V

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

- Number and date of Meetings.
- 2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
- 3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
- 4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. Details may be attached as Annexure.

- 5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
- 6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.
 - Details may be attached as separate Annexure.
- 7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
- 8. Any other matter of importance.